



परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत नवनिर्मित/नवविकसित एवं निरस्तीकरण से रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन तिथि/समय 24.09.2015, प्रातः 10:30 बजे

आवंटन/नीलामी

कार्यालय, संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन)
स्थल: आफिस काम्पलेक्स (भू-तल) केशवपुरम्
कल्यानपुर, कानपुर।

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (आवंटन द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	पात्रता
--------------------------	------------------------	---	---------

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर

(जी+2) 30/40 प्रकार के भवन (02 नग)	19.25	4.70	अपजीकृत
------------------------------------	-------	------	---------

7/2F-5, 7/2F-6

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक (दुकाने एवं किरायास्व) सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)
-----------------	-----------------------	---	-----------------	-----------------------	---

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, (फेज-1), कानपुर

दुकानें (01 नग)	18.77	6.53
-----------------	-------	------

POCKET-1 P-1/S-04

चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव

दुकानें (07 नग)	S-6,7,8,9,12	9.74	1.35
	S-10,11	10.21	1.41

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाले शैक्षिक भूखण्डों का विवरण

सेक्टर/भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	वर्तमान भूमि दर-लीजरेट + कारगर शुल्क (कार्गर की स्थिति में) प्र.व.मी.	भूखण्ड का मूल्य दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी दर के अनुसार (रु. में)	बैंक ड्राफ्ट द्वारा बयाना धनराशि (रुपये में)
-------------------	------------------------	---	---	--

केशवपुरम् योजना संख्या-1, कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)	प्रीएस सेक्टर-आई	प्रीएस सेक्टर-एम
1507.50	19360.00	29185200.00
1870.50	19360.00	36212880.00

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)	भूखण्ड सं.-ए	भूखण्ड सं.-सी
960.00	15730.00	15100800.00
2448.00	15730.00	38507040.00

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (06 नग) (लीज पर)	1/पी.एस.	सेक्टर-7/एनएस-6	सेक्टर-8/पीएस-1	सेक्टर-8/एनएस-1	सेक्टर-8/एनएस-2	9/पीएस-3
3040.92	15730.00	1097.60	15730.00	894.00	1104.50	928.76
15730.00	47833680.00	15730.00	17268394.00	15730.00	14062620.00	15730.00
15730.00	17373785.00	15730.00	1737379.00	15730.00	14609395.00	15730.00
15730.00	23716910.00	15730.00	2371691.00	15730.00	2371691.00	15730.00

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (05 नग) (लीज पर)	सेक्टर-ए एनएस/पीएस	सेक्टर-1बी एनएस/पीएस	सेक्टर-8/एनएस/पीएस	सेक्टर-5बी एनएस	सेक्टर-5जी एनएस
1390.50	12100.00	1365.00	12100.00	935.45	12100.00
12100.00	16825050.00	12100.00	16516500.00	12100.00	11318945.00
12100.00	16516500.00	12100.00	16516500.00	12100.00	16516500.00
12100.00	16516500.00	12100.00	16516500.00	12100.00	16516500.00
12100.00	16516500.00	12100.00	16516500.00	12100.00	16516500.00

लोहियापुरम् योजना, फतेहगढ़

शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)	6 बी पीएस
973.76	9680.00
9680.00	9425997.00

गणेश बिहार योजना, फतेहपुर

शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)	सेक्टर-1, एनएस
708.00	4961.00
4961.00	3512388.00

- शैक्षिक भूखण्डों हेतु नीलामी की तिथि को संस्था का पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना एवं संस्था की विगत तीन वर्षों की बेलेंसशीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना अनिवार्य है।
- उ.प्र. सरकार के निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।
- उ.प्र. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनों पर प्रभावी होंगे।
- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से विनियमावली सम्बन्धित पुरित्ता का रु. 1000.00 का भुगतान कर दिनांक 11.09.2015 से दिनांक 10.10.2015 तक प्राप्त की जा सकती है। जिसके अनुसार नीलामी में भाग लिया जाना है।
- शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू.पी. बोर्ड/सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी।

व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ.ए. आर. प्रतिशत	ग्राउन्ड कवरेज	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)
-----------------	------------------------	--	-------------------	----------------	------------------------

केशवपुरम् योजना संख्या-1, कानपुर

प्रीमियम भूखण्ड (01 नग)

I/PR-7(OBC)	561.00	26880.00	1.50	55%	12.50
-------------	--------	----------	------	-----	-------

कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड (03 नग)

M/CS-7 (OBC)	83.95	35840.00	1.20	60%	15.00
M/CS-8 (GEN)	83.95	35840.00	1.20	60%	15.00
M/CS-9 (SC)	94.90	35840.00	1.20	60%	15.00

संस्थागत भूखण्ड (02 नग)

INP-5@	1344.00	29568.00	1.50	35%	15.00
G/INS-1	2064.62	26880.00	2.50	35%	15.00

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, (फेज-2) कानपुर

व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)

6/COM-1/3	420.00	29120.00	1.50	55%	12.50
-----------	--------	----------	------	-----	-------

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर

सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)

Sector-1A @	839.12	12100.00	1.50	35%	10.00
Sector-1B @	1805.00	12100.00	1.50	35%	10.00
Sector-5C @	834.75	12100.00	1.50	35%	10.00
Sector-5H @	1627.50	12100.00	1.50	35%	10.00

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)

7GH-02	8745.07	16914.00	1.50	40%	-
7GH-04	7420.44	16914.00	1.50	40%	-

लोहियापुरम् योजना, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)

व्यवसायिक भूखण्ड (10 नग)

3/C-08 (OBC)	162.00	17920.00	1.20	40%	9.60
3/C-13(GEN)	162.00	17920.00	1.20	40%	9.60
3/C-14(SC)	162.00	17920.00	1.20	40%	9.60
3/C-15@ (OBC)	199.80	19712.00	1.20	40%	9.60
3/C-52(SC-SENIOR CITIZEN)	200.00	17920.00	1.20	40%	9.60
4/C-34 (GEN)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60
4/C-41 (GEN)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60
4/C-44 (GEN)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60
4/C-45 (GEN)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60
4/C-60 (GEN)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60

योजना संख्या-1 छिवरागढ़ (कन्नौज)

संस्थागत भूखण्ड (01 नग)

INS-4/101	1287.33	8686.00	1.50	35%	15.00
-----------	---------	---------	------	-----	-------

© का चिन्ह कार्गर की सम्पत्तियों का सूचक है।

नोट :-

> प्रीमियम भूखण्डों का उपयोग भूतल पर व्यवसायिक प्रयोग होगा एवं बेसमेन्ट का प्रयोग भण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सबडिवीजन/विक्रय अनुमत्य नहीं होगा। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रीमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूलस्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के अध्याय-3 भाग-5 के प्रस्तर 1.5.1 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्डों हेतु अनुमत्य भू-आच्छादन एफ.ए.आर. व अनुमत्य इकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि-2000 के अनुसार रहेगा।

- A> समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- B> सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- C> सम्पत्ति सम्बंधी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- D> आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन दो दिन पूर्व एवं सीलड बिड एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सायं 05.00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10.30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11.00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ कीजायेगी।
- E> आरक्षित भूखण्डों के विरुद्ध फर्म/पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमत्य नहीं है तथा पावर आफ एटार्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमत्य न होगा।
- F> प्रदेशन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्माण अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- G> सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बंधी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त

IS 15700 : 2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>; E-mail: upavp@sancharnet.in

गीसी मक मरी IS 15700

